भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3269

दिनांक 21.03.2023 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों के लिए सिटीजन चार्टर

†3269. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार कर लिए गए हैं और यह देश की सभी ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचायत द्वारा अस्वीकृत मामलों के विरुद्ध शिकायत के निवारण और अनुक्रिया का रिकॉर्ड रखे जाने से संबंधित सरकार द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने 29 क्षेत्रों में सेवाओं की प्रदायगी के लिए एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर/ फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो संबंधित कार्यों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करता है ताकि पंचायतों द्वारा इसे अपनाया और अनुकूलित किया जा सके। इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। दिनांक 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान चलाया गया था। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावपूर्ण कार्यनीति के रूप में उभर कर आया कि ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम

सभाओं द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर है, जिसमें पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों और ऐसी सेवा की समय सीमा को सूचीबद्ध किया गया।

अब तक, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अब अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।

(ग) और (घ) 'पंचायत' राज्य का विषय होने के कारण, सेवा प्रदायगी और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र का निर्धारण, प्रबंधन और निगरानी संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है।

***